PRGI. No.: MHMUL/25/A2419

प्यूपिल्स टाइम्स

PUPILS TIMES

Volume : 1 ▸ Issue : 27 ▸ Mumbai ▸ Friday, 07 August to 14 August 2026 ▸ Weekly ▸ Pages : 8 ▸ Price : 3 Rs.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने ओडिशा के धबलेश्वर मंदिर में पूजा-अर्चना की

▸▸ सेना के एयर डिफेंस कॉलेज का भी किया दौरा

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने ओडिशा के बरहामपुर के पास स्थित धबलेश्वर मंदिर में पूजा-अर्चना की। उन्होंने गोपालपुर स्थित सेना के एयर डिफेंस कॉलेज का भी दौरा किया। राष्ट्रपति ने वहां अधिकारियों और शिक्षकों से बातचीत की। राष्ट्रपति नई दिल्ली के लिए रवाना हो गईं। अपनी तीन दिन की यात्रा के दौरान उन्होंने कटक में जगद्गुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया, कई प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन किए और राज्य में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुई।

सांसदों को पीएम मोदी की नसीहत...

■ लेटरहेड के दुरुपयोग से बचें, फोन पर संयमित भाषा और विपक्ष से सीखने की दी सलाह

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों को अहम सलाह दी है। उन्होंने कहा कि सांसद अपने लेटरहेड के गलत इस्तेमाल को लेकर सतर्क रहें और फोन पर बात करते समय लोगों से रूखा व्यवहार न करें। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने सांसदों से कहा कि उन्हें अपने साथी सांसदों से सीखना चाहिए, चाहे वे विपक्ष के ही क्यों न हों। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि अच्छे नतीजे पाने के लिए वर्तमान में जीना बहुत जरूरी है। सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री ने सांसदों को समझाया कि उनके नाम और पद का इस्तेमाल कई बार गलत तरीके से हो सकता है, इसलिए हर सांसद को इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि उनका लेटरहेड कोई गलत इस्तेमाल न करे। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि सांसदों को फोन पर बातचीत के दौरान विनम्रता बनाए रखनी चाहिए और लोगों के साथ रूखे तरीके से पेश नहीं आना चाहिए. प्रधानमंत्री का मानना है कि जनता से सीधा जुड़ाव तभी मजबूत रहता है जब व्यवहार में शालीनता हो। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने सांसदों को यह सलाह दी कि वे अपने साथी सांसदों से कुछ न कुछ जरूर सीखें, भले ही वे किसी भी पार्टी से जुड़े हों। उन्होंने विपक्ष के सांसदों से भी सीखने की बात कहकर यह संदेश दिया कि राजनीति में सीखने की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। **(शेष पेज 5 पर)**

यूपी के सभी सरकारी स्कूलों का होगा सुरक्षा ऑडिट

लखनऊ: प्रदेश के सभी परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट व कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में जल्द ही व्यापक सुरक्षा ऑडिट शुरू होगा। शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इस दौरान स्कूल भवनों की मजबूती, बिजली और अग्नि सुरक्षा, स्वच्छता, पेयजल, बाल संरक्षण, स्वास्थ्य सुविधाएं, दिव्यांग विद्यार्थियों की व्यवस्था और आपदा से निपटने की तैयारियों की विस्तार से जांच होगी। आवश्यकता पड़ने पर प्रत्येक स्कूल के लिए नई स्कूल आपदा प्रबंधन योजना भी तैयार कराई जाएगी। ऑडिट के दायरे में 1.40 लाख से अधिक सरकारी स्कूलों में 2,444 राजकीय हाईस्कूल व इंटर कॉलेज, 4,513 सहायता प्राप्त हाईस्कूल व इंटर कॉलेज, 25,137 कंपोजिट व कस्तूरबा गांधी

योगी सरकार ने जारी किया आदेश

बालिका विद्यालय, 1,08,461 प्राथमिक व उच्च प्राथमिक परिषदीय विद्यालय शामिल हैं। अपर मुख्य सचिव बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा ने सभी जिलाधिकारियों को तय कार्ययोजना के अनुसार कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। यह व्यवस्था इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ के आदेशों के अनुपालन में लागू की जा रही है। कार्ययोजना राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) की स्कूल सुरक्षा नीति-2016, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और केंद्र सरकार के वर्ष 2021 के दिशा-निर्देशों पर आधारित है। स्कूल सुरक्षा की निगरानी के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति पहले ही गठित है।

हर जिले में बनेगी 31 सदस्यीय टीम

अब जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय स्कूल सुरक्षा समन्वय समिति बनेगी। समिति सुरक्षा प्रोटोकाल लागू कराने, नियमित ऑडिट, जोखिम आकलन, मॉकड्रिल, विद्यार्थियों व शिक्षकों के प्रशिक्षण व सुरक्षा संबंधी समस्याओं के त्वरित समाधान की जिम्मेदारी निभाएगी। **(शेष पेज 5 पर)**

महाराष्ट्र: वोटर लिस्ट अपडेट की समय-सीमा फिर बढ़ी

अब 17 अगस्त तक घर-घर जाकर सत्यापन करेंगे बीएलओ

मुंबई: महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की समय-सीमा एक बार फिर बढ़ा दी गई है। अब बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) 17 अगस्त तक घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। इसके साथ ही अंतिम मतदाता सूची जारी करने की तारीख भी बढ़ाकर 27 अक्टूबर कर दी गई है। महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय की ओर से निर्वाचन आयोग से कार्यक्रम में संशोधन का अनुरोध किया गया था। आयोग ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए नया कार्यक्रम जारी किया। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार

बीएलओ 17 अगस्त तक घर-घर जाकर सत्यापन का कार्य पूरा करेंगे। इसके बाद 24 अगस्त को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। प्रारूप सूची जारी होने के बाद मतदाता और राजनीतिक दल 23 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। **(शेष पेज 5 पर)**

बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े फैसले

पीपीपी मॉडल पर 16 मेडिकल कॉलेजों के संचालन को मंजूरी

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट की बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, खेल, न्यायिक व्यवस्था, जलापूर्ति, पर्यटन, संस्कृति और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए। इन फैसलों के जरिए सरकार ने आधारभूत संरचना के विकास, प्रशासनिक क्षमता बढ़ाने और सार्वजनिक सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने पर जोर

दिया है। बैठक में सबसे प्रमुख निर्णय 'सात निश्चय-3' के तहत सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर राज्य के 16 ब्राउनफील्ड चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों, जिनमें डेंटल कॉलेज एवं अस्पताल भी शामिल हैं, के संचालन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का रहा। इसके लिए ट्रांजैक्शन एडवाइजर के रूप में प्राइस वाटर हाउस कूपर्स प्राइवेट लिमिटेड (पीडब्ल्यूसी) को चयनित करते हुए 8.27 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। **(शेष पेज 5 पर)**

UGC की मंजूरी से भारत में खुलेंगे 15 विदेशी विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा का होगा विस्तार

नई दिल्ली : भारत में उच्च शिक्षा के विस्तार को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने 15 विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में अपने कैंपस स्थापित करने की अनुमति दे दी है। इन संस्थानों में ऑस्ट्रेलिया, इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के विश्वविद्यालय शामिल हैं। ये विदेशी विश्वविद्यालय भारत के प्रमुख शहरों में अपने परिसर स्थापित करेंगे। स्वीकृत शहरों में बेंगलुरु, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, मुंबई और चेन्नई जैसे महत्वपूर्ण शैक्षिक और व्यावसायिक केंद्र शामिल हैं। यह कदम भारत को एक वैश्विक शैक्षिक केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। विश्वविद्यालय

अनुदान आयोग (UGC) ने इन विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में अपनी शाखाएं खोलने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए थे। इन दिशानिदेर्शों का पालन करने वाले विश्वविद्यालयों को ही मंजूरी दी गई है। यह सुनिश्चित करेगा कि भारत में खुलने वाले विदेशी कैंपस उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करें और स्थानीय नियामक निकायों के मानकों का पालन करें। इन विदेशी विश्वविद्यालयों के भारत में कैंपस खुलने से भारतीय छात्रों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के अधिक अवसर मिलेंगे। इससे न केवल विदेशी शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्रों की संख्या कम होगी, बल्कि यह भारत में शिक्षा की गुणवत्ता को भी बढ़ाएगा। साथ ही, यह विभिन्न देशों के साथ शैक्षिक सहयोग को भी बढ़ावा देगा। यह पहल भारत को उच्च शिक्षा के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बनाने में मदद करेगी। छात्रों को विभिन्न देशों के शैक्षणिक पाठ्यक्रमों और शोध के अवसरों तक पहुंच मिलेगी। इसके अतिरिक्त, यह स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा और भारत में शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करेगा। **(शेष पेज 5 पर)**

संपादकीय

'विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान'

प्रधानमंत्री ने नशे की लत की समस्या से निपटने के लिए 'विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान' की जो शुरूआत की, वह समय की मांग है। इस अभियान को देश भर में जनभागीदारी आंदोलन के रूप में शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य देश के युवाओं को नशे की लत के खिलाफ एक साथ मिलकर प्रयत्न करने के लिए एकजुट करना है। इस अभियान का उद्देश्य केवल युवाओं को नशा मुक्त भारत के अभियान में योगदान के लिए प्रोत्साहित करना ही नहीं, बल्कि विकसित भारत के लक्ष्य को समर्थन देना भी है। निश्चित रूप से यह एक महत्वाकांक्षी अभियान है। जब देश विकसित भारत के सपने को साकार करने की ओर आगे बढ़ रहा है, तब यह आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है कि देश के युवा मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें और किसी भी तरह के नशे के शिकार न होने पाएं। इस अभियान को वास्तव में जन आंदोलन बनाने के लिए सरकार को बहुत कुछ करना होगा, क्योंकि आम तौर पर यह देखा जाता है कि सरकारी आयोजनों एवं अभियानों में स्वेच्छा से जनभागीदारी नहीं हो पाती। एक समस्या यह भी है कि आमतौर पर ऐसे अभियानों से अन्य राजनीतिक दल और विशेष रूप से विरोधी राजनीतिक दल जुड़ना पसंद नहीं करते। सरकार को यह देखना चाहिए कि इस अभियान में सभी राजनीतिक दलों का सहयोग कैसे प्राप्त हो? इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि युवाओं में नशे की बढ़ती लत किसी एक राज्य या क्षेत्र विशेष की समस्या नहीं है। यह एक तरह से पूरे देश की समस्या है, लेकिन इसी के साथ तथ्य यह भी है कि कुछ सीमावर्ती राज्य इस समस्या से कहीं अधिक ग्रस्त हैं। उदाहरणस्वरूप पंजाब एक अर्से से नशे की समस्या से गंभीर रूप से ग्रस्त है। एक के बाद एक राज्य सरकारों ने पंजाब को नशा मुक्त करने के लिए अभियान छेड़ा, लेकिन उन्हें वांछित सफलता नहीं मिल सकी। पंजाब जैसी स्थिति पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों की भी है। इसका कारण यह है कि जहां पंजाब में पाकिस्तान मादक पदार्थ भेजने में लगा हुआ है, वहीं पूर्वोत्तर में यह काम म्यांमार से हो रहा है। यह एक चिंताजनक तथ्य है कि पिछले कुछ वर्षों में सीमा पार से नशे की आवक बढ़ी है। इसके अतिरिक्त देश में भी चोरी-छिपे मादक पदार्थ बनाने वालों की संख्या बढ़ती हुई दिख रही है। युवाओं को नशे से बचाने के लिए केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों और सामाजिक-सांस्कृतिक संगठनों को तो सक्रिय होना ही होगा, समाज को भी इस खतरे से सावधान रहना होगा। घर-परिवार और शिक्षा संस्थानों की ओर से छात्रों को इसके लिए सतत रूप से चेताया जाना चाहिए कि नशे की लत किस तरह युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर देती है। हर स्तर पर सक्रियता और जागरूकता से ही नशे की समस्या से निपटा जा सकता है।

कांवड़ यात्राः भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर

सावन मास की शुरूआत होते ही हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक, गंगा गंगोत्री से लेकर रामेश्वरम तक सम्पूर्ण भारत शिवमय हो उठता है। सावन मास में शविभक्तों की विशाल पदयात्राएं जो कांवड़ यात्रा के नाम से जानी जाती है, भारतीय संस्कृति की जीवंतता का अनुपम दृश्य प्रस्तुत करती हैं। कंधों पर सुसज्जित कांवड़, मुख पर "बोल बम" का उद्घोष, हृदय में भगवान शिव के प्रति अनन्य भक्ति। यही है कांवड़ यात्रा का वास्तविक स्वरूप। कांवड़ यात्रा केवल एक सामान्य यात्रा नहीं है, बल्कि ये तपस्या, भक्ति और श्रद्धा की वह गाथा है जो शताब्दियों से चली आ रही है। धर्मशास्त्रों के अनुसार जब कांवड़ से जुड़े दोनों पात्र जिन्हें ब्रह्मघट और विष्णुघट कहा जाता है, पवित्र जल से भर लिए जाते है, तो उन्हें एक बांस की डण्डी के सहारे सजा-धजा कर और पूजित कर, स्थापित कर दिया जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार रूद्र अर्थात् शिव बांस में समाहित हैं। कांवड़िया कांवड़ के माध्यम से साक्षात ब्रह्मा, विष्णु, शिव, तीनों की कृपा एक साथ प्राप्त करते हैं। भारत में दो कांवड़ यात्राएं होती हैं, दिल्ली से उत्तराखंड-गंगोत्री, ऋषिकेश या हरिद्वार तक की कांवड़ यात्रा और बिहार और झारखंड में सुल्तानगंज से देवघर तक की कांवड़ यात्रा। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से सैकड़ों-हजारों लोग, युवा से लेकर बुजुर्ग तक, जिनमें महिलाएं और कभी-कभी बच्चे भी कांवड़ यात्रा में भाग लेते हैं। कंधों पर लटका पवित्र जल भगवान शिव को समर्पित है, जिन्हें अक्सर भोला या भोले बाबा कहकर पुकारा जाता है। भोले का अर्थ भोलेनाथ, यानी भगवान शिव भी हो सकता है। इसलिए, तीर्थयात्री भोला और भोले हैं! वर्तमान में, कांवड़ यात्रा विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक पदयात्राओं में मानी जाती है। आधुनिक समय में इसकी भव्यता अत्यधिक बढ़ी है, किंतु इसकी आध्यात्मिक जड़ें वैदिक एवं पौराणिक परंपराओं में गहराई तक समाई हुई हैं। प्राचीन ग्रंथों में कांवड़ यात्रा का उल्लेख प्रायः किया जाता है। यह

प्रश्न बार-बार पूछा जाता है कि "कांवड़ यात्रा" का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? इसका उत्तर थोड़ा सूक्ष्म है। "कांवड़" शब्द अपने वर्तमान अर्थ में पुराणों में प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिलता। किंतु पवित्र नदी से जल लाकर भगवान शिव का अभिषेक करने की परंपरा का वर्णन अनेक पुराणों में स्पष्ट रूप से मिलता है। वर्तमान कांवड़ यात्रा उसी प्राचीन शिवाभिषेक परंपरा का आधुनिक स्वरूप मानी जाती है। अर्थात् कांवड़ यात्रा का भाव पुराण सम्मत है, जबकि "कांवड़" शब्द अपेक्षाकृत उत्तरकालीन लोक प्रचलित नाम है। "कंवार" शब्द की व्युत्पत्ति, जिसका अर्थ "कंधा" है। कांवड़ में दूर-दूर से पवित्र नदियों, खासकर गंगा का जल भरकर लाते हैं। इसे पैदल यात्रा करते हुए शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। इस संकल्प यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण होता है कांवड़ को अपने कंधे पर उठाकर ले जाना। यह कोई साधारण परंपरा नहीं है। इसके पीछे गहराई से जुड़ी हुई पौराणिक मान्यताएं छुपी हुई हैं। वाकई में कांवड़ यात्रा का जिक्र किसी पौराणिक ग्रंथ में सीधे तौर पर नहीं मिलता है। इसका भी स्पष्ट रूप से कोई जिक्र नहीं है कि किसने पहली बार कांवड़ यात्रा शुरू की थी, लेकिन लोक व्यवहार में महाबली रावण, महाविष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम, अगस्त्य ऋषि, महर्षि मार्कंडेय, महारथी कर्ण और 61 नयनार संतों में से एक संत कनप्पा जैसे कई नाम शामिल हैं, जिन्होंने महादेव शिव को बड़ी सरल-सहज और आसान विधि से पूजन कर प्रसन्न किया था। रावण और भगवान परशुराम द्वारा तो शिवजी के लिए कांवड़ लाकर भी उनका जलाभिषेक करने का प्रसंग लोक कथाओं में मिलता है, हालांकि पुराणों में हर जगह इनके द्वारा की गई विधिवत पूजा का ही वर्णन मिलता है, जिसमें पंचोपचार पूजन से लेकर, षोडशोपचार पूजन तक का वर्णन मिलता है, फिर भी कांवड़ द्वारा जल लाकर शिवजी के अभिषेक का वर्णन नहीं मिलता है। स्कंद पुराण में शिव उपासना के लिए रामोपाख्यान सर्ग में एक जिक्र आता है, जहां शिवगण नंदी और रावण की बातचीत होती है। इस स्थान पर नंदी कहते हैं कि जो प्राणी जलाशय से शिवालय तक पैदल ही गमन करता है, और फिर जल ले जाकर शिवालय को धोकर साफ करता है, वह बिना किसी विधान की पूजा के शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। हालांकि कांवड़ यात्रा विशुद्ध ग्रामीण परंपरा है और इसकी शुरूआत इधर के आधुनिक काल में ही कभी हुई हो, इसकी अधिक संभावना हो सकती है। शिवजी की कावड़ यात्रा का जिक्र पुराणों में मिले न मिले, किसी रावण ने कांवड़ पहले चढ़ाई हो या नहीं, शिवभक्तों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनके लिए तो बस इतनी सी बात है, वे शिव के हैं और शिव उनके हैं। कांवड़ शिव के उन सभी रूपों को नमन है। कंधे पर गंगा को धारण किए श्रद्धालु इसी आस्था और विश्वास को जीते हैं। यों भी कह सकते हैं कि कांवड़ यात्रा शिव के कल्याणकारी रूप और निष्ठा के नीर से उसके अभिषेक को तीव्र रूप में प्रतिध्वनित करती है।

प्यूपिल्स टाइम्स विशेष शोध-श्रृंखला

2026 का छात्र-आंदोलन : कक्षा से संसद तक नागरिक सक्रियता का नया समाजशास्त्र

भाग-3 (खण्ड-1)

2026 का छात्र आंदोलन पहले के छात्र आंदोलनों से अलग क्यों दिखाई देता है?

इतिहास की निरंतरता में एक नए प्रश्न का उदय- इतिहास स्वयं को नहीं दोहराता; वह प्रत्येक युग में नए प्रश्नों के साथ सामने आता है। प्रत्येक पीढ़ी अपने समय का संघर्ष स्वयं चुनती है। किसी पीढ़ी ने स्वतंत्रता मांगी, किसी ने लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व, किसी ने सामाजिक न्याय, और आज की पीढ़ी व्यवस्था की पारदर्शिता और प्रक्रियात्मक न्याय का उत्तर चाहती है। किसी भी जन-आंदोलन को समझने के लिए केवल उसकी घटनाओं का अध्ययन पर्याप्त नहीं होता। यह भी देखना आवश्यक होता है कि वह अपने समय के किस प्रश्न का उत्तर खोज रहा है। आंदोलन केवल विरोध का माध्यम नहीं होते; वे समाज की बदलती प्राथमिकताओं के दर्पण भी होते हैं। भारतीय छात्र आंदोलनों का इतिहास इस सत्य का सशक्त प्रमाण है। लगभग एक शताब्दी से अधिक समय से विद्यार्थी केवल शिक्षा संस्थानों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने समय-समय पर राष्ट्र के बौद्धिक और लोकतांत्रिक विमर्श को नई दिशा दी है। इसी परंपरा में 2026 का छात्र आंदोलन भी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। किंतु इसकी प्रकृति, इसकी भाषा और इसकी प्राथमिकताएँ पूर्ववर्ती आंदोलनों से कई मायनों में भिन्न दिखाई देती हैं।

स्वतंत्रता आंदोलन : जब छात्र राष्ट्र की आवाज बने- बीसवीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में विद्यार्थियों की सबसे बड़ी चिंता परीक्षा या विश्वविद्यालय नहीं, बल्कि देश की राजनीतिक स्वतंत्रता थी। विद्यालयों और महाविद्यालयों के हजारों छात्र विदेशी शासन के विरुद्ध आंदोलनों में शामिल हुए। अनेक विद्यार्थियों ने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर सत्याग्रह, बहिष्कार और राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लिया। उस दौर में छात्र की पहचान सबसे पहले राष्ट्रनिमार्ता नागरिक की थी। उस आंदोलन का प्रश्न था—"भारत स्वतंत्र कब होगा?"

जेपी आंदोलन : व्यवस्था परिवर्तन का स्वर- 1974 में बिहार से प्रारंभ हुआ छात्र आंदोलन शीघ्र ही लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में व्यापक जन-आंदोलन में परिवर्तित हो गया। भ्रष्टाचार, प्रशासनिक अक्षमता, महँगाई और राजनीतिक नैतिकता उसके प्रमुख विषय बने। यह आंदोलन केवल विश्वविद्यालयों तक सीमित नहीं रहा। छात्रों ने स्वयं को व्यापक सामाजिक

परिवर्तन का माध्यम माना। परिणामस्वरूप यह आंदोलन भारतीय राजनीति के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ सिद्ध हुआ। उस समय का मूल प्रश्न था-"क्या शासन जनता के प्रति उत्तरदायी है?"

मंडल आंदोलन : प्रतिनिधित्व की राष्ट्रीय बहस- 1990 के दशक में मंडल आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन ने भारतीय समाज में व्यापक बहस को जन्म दिया। छात्र आंदोलन सामाजिक न्याय, आरक्षण, अवसरों के वितरण और प्रतिनिधित्व के प्रश्नों के इर्द-गिर्द विकसित हुआ। उस दौर में छात्र की सबसे बड़ी चिंता थी-"अवसरों का वितरण किस आधार पर होगा?" यह आंदोलन भारतीय लोकतंत्र में सामाजिक न्याय के विमर्श का महत्वपूर्ण अध्याय बन गया।

इक्कीसवीं सदी : विश्वविद्यालयों से नागरिक विमर्श तक- नई शताब्दी में छात्रों ने शिक्षा शुल्क, विश्वविद्यालय स्वायत्तता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रोजगार और शिक्षा नीति जैसे अनेक प्रश्नों पर आवाज उठाई। 2011 के भ्रष्टाचार-विरोधी जनआंदोलन में भी बड़ी संख्या में युवाओं और विद्यार्थियों की भागीदारी देखने को मिली। सोशल मीडिया के विस्तार ने छात्र आंदोलनों को नया माध्यम दिया। परिसर की सीमाएँ समाप्त होने लगीं और डिजिटल मंच सार्वजनिक संवाद के नए स्थल बन गए।

2026 : प्रश्न बदला, इसलिए आंदोलन भी बदला- यदि उपर्युक्त सभी आंदोलनों की तुलना 2026 के छात्र आंदोलन से की जाए, तो एक महत्वपूर्ण अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। इस बार छात्र किसी राजनीतिक परिवर्तन, वैचारिक संघर्ष या सामाजिक पुनर्संरचना की मांग लेकर सड़कों पर नहीं उतरा।

उसका पहला प्रश्न अत्यंत सीधा था-

>> परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शी क्यों नहीं दिखाई देती?

>> नॉर्मलाइजेशन की पद्धति स्पष्ट क्यों नहीं है?

>> तकनीकी त्रुटियों का उत्तरदायित्व कौन लेगा?

>> क्या प्रत्येक परीक्षार्थी को समान अवसर मिला?

अर्थात् इस आंदोलन का केंद्र व्यवस्था की प्रक्रिया थी, न कि व्यवस्था की वैचारिक दिशा।

...जारी

प्यूपिल्स टाइम्स

मुंबई बीएमसी में जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्रों का बढ़ा बैकलॉग

▸▸ शादी, वीजा और एडमिशन की प्रक्रिया हो रही प्रभावित

मुंबईः बीएमसी में जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्रों के लंबित मामलों का संकट अब आम नागरिकों के लिए गंभीर समस्या बनता जा रहा है। प्रमाणपत्रों में सुधार और पुराने रिकॉर्ड के सत्यापन में हो रही देरी के कारण लोगों की शादी का पंजीकरण, विदेश जाने के लिए वीजा, विश्वविद्यालयों में प्रवेश और विदेशी नागरिकता अथवा स्थायी निवास से जुड़ी प्रक्रियाएं प्रभावित हो रही हैं। बीएमसी ने भी स्वीकार किया है कि जन्म एवं मृत्यु प्रमाणपत्रों के निस्तारण में बड़ा बैकलॉग बन चुका है और इसे दूर करने के लिए अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार नियुक्त करने की मंजूरी मांगी गई है। बीएमसी आयुक्त अश्विनी भिड़े ने हाल ही में भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त को पत्र लिखकर सात अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार नियुक्त करने की अनुमति मांगी है। बीएमसी का कहना है कि मौजूदा व्यवस्था पर काम का अत्यधिक दबाव है, जिसके कारण वर्षों पुराने रिकॉर्ड के सत्यापन और अनुमोदन में लंबा समय लग रहा है। बीएमसी के अनुसार मुंबई में जन्म और मृत्यु से जुड़े लगभग एक करोड़ पुराने रिकॉर्ड अब भी डिजिटाइज किए जाने बाकी हैं। हर दिन विभिन्न जिला रजिस्ट्रार कार्यालयों में 200 से 400 ऐड ओल्ड इवेंट आवेदन पहुंचते हैं, जबकि लगभग 1,000 आवेदन मंजूरी की प्रतीक्षा में लंबित हैं। नई नागरिक पंजीकरण प्रणाली (सीआरएस) के तहत प्रत्येक आवेदन के अनुमोदन के लिए आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर भेजे गए वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) की आवश्यकता होती है, जिसकी वैधता केवल 60 सेकंड रहती है। मुंबई बीएमसी का कहना है कि सीमित समय में इतनी बड़ी संख्या में आवेदनों का सत्यापन करना व्यावहारिक रूप से बेहद कठिन हो गया है। प्रमाणपत्रों में देरी का असर सीधे नागरिकों के निजी जीवन पर पड़ रहा है।

CSMT से सावंतवाड़ी के बीच चलेगी नई नियमित ट्रेन

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का शिवसेना सांसदों ने किया सम्मान

प्यूपिल्स टाइम्स संवाददाता

मुंबईः कोंकणवासियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे द्वारा छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस से सावंतवाड़ी रोड के बीच नियमित एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने की मंजूरी देने पर केंद्रीय रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव का सम्मान मंगलवार को नई दिल्ली में शिवसेना और कोकणवासियों की ओर से किया गया। इस अवसर पर शिवसेना संसदीय दल के नेता डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, सांसद नरेश म्हस्के, महाराष्ट्र विधान परिषद के उपसभापति सचिन अहिर, सांसद संजय दिना पाटील, सांसद श्रीरंग बारणे और सांसद ओम राजे निंबालकर मौजूद थे। इस ट्रेन को शुरू कराने के लिए सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे और सांसद नरेश म्हस्के ने लंबे समय से प्रयास किए थे। उनके प्रयासों के बाद रेलवे ने कोकण रेल मार्ग पर इस नियमित ट्रेन को हरी झंडी दी है। रेलवे की जानकारी के अनुसार यह ट्रेन कोकण रेल मार्ग पर चलेगी और रास्ते में 22 स्टेशनों पर इसका ठहराव होगा। इस नई ट्रेन से गणेशोत्सव के दौरान में गांव जाने वाले प्रवासी यात्रियों को बड़ी सुविधा होगी। अभी त्योहारों के समय टिकट और भीड़ की समस्या रहती थी, वह अब काफी हद तक कम होगी। साथ ही रोजाना आवागमन करने वाले कोकणवासियों को भी नियमित और आरामदायक यात्रा का विकल्प मिल गया है। शिवसेना नेताओं ने कहा कि यह ट्रेन कोकण के विकास और कनेक्टिविटी के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आश्वासन दिया कि कोकण रेलवे के आधुनिकीकरण और नई सेवाओं के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है।

महाराष्ट्र में मछली पकड़ने पर 15 अगस्त तक पाबंदी

मुंबईः समुद्री मछलियों के प्रजनन काल को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने तटीय इलाकों में मछली पकड़ने पर लगी पाबंदी को 15 अगस्त तक बढ़ा दिया है। इस फैसले की जानकारी महाराष्ट्र के मत्स्य मंत्री नितेश राणे ने गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत से फोन पर बात कर साझा की। नितेश राणे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर बताया कि उन्होंने गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से टेलीफोन पर बात की। उन्होंने उन्हें महाराष्ट्र के मत्स्य विभाग द्वारा 15 अगस्त तक मछली पकड़ने पर लगाए गए प्रतिबंध के बारे में बताया।इस दौरान उन्होंने गोवा सरकार से अनुरोध किया कि इस अवधि में महाराष्ट्र का सहयोग करे और यह सुनिश्चित करे कि गोवा के मछुआरे महाराष्ट्र के समुद्री क्षेत्र में मछली

पकड़ने के लिए प्रवेश न करें। मंत्री नितेश राणे ने कहा कि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इस मामले पर सकारात्मक जवाब दिया और पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। उन्होंने सहयोग के लिए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का धन्यवाद भी किया।

बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने तटीय इलाकों में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध 15 अगस्त तक बढ़ा दिया है। इसके तहत राज्य की तटरेखा से 12 समुद्री मील यानी करीब 24 किलोमीटर के भीतर व्यावसायिक और यंत्रीकृत मछली पकड़ने पर रोक रहेगी। यह पाबंदी केंद्र सरकार के 31 जुलाई को खत्म हुए मानक प्रतिबंध से भी आगे तक बढ़ाई गई है।

हालांकि इस प्रतिबंध से पारंपरिक मछुआरों को छूट दी गई है। अधिकृत छोटे और बिना मोटर वाले नावों का इस्तेमाल करने वाले पारंपरिक मछुआरे तट के पास स्थानीय पानी में मछली पकड़ सकते हैं। वहीं, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए यंत्रीकृत नावों को 1 अगस्त से 12 समुद्री मील से आगे खुले समुद्र में मछली पकड़ने की अनुमति है। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि इस पाबंदी का मकसद समुद्री जीवों को प्रजनन का समय देना और मछली भंडार को बढ़ाना है ताकि मछुआरों को आगे चलकर बेहतर मुनाफा मिल सके।

महाराष्ट्र को केंद्र सरकार से 7,022 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता

मुंबईः महाराष्ट्र में विकास कार्यों और बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं को गति देने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य को 7,022 करोड़ रुपये की अतिरिक्त कर हिस्सेदारी जारी की है। यह राशि केंद्र द्वारा राज्यों को वितरित किए गए 1.09 लाख करोड़ रुपये के कुल कर हस्तांतरण का हिस्सा है। केंद्र सरकार ने यह अग्रिम किस्त 10 अगस्त को होने वाले नियमित मासिक कर हस्तांतरण से पहले ही जारी कर दी है। केंद्र सरकार का उद्देश्य राज्यों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करना है, ताकि धन की कमी के कारण विकास कार्यों या प्रशासनिक गतिविधियों पर कोई असर न पड़े। अग्रिम राशि मिलने से महाराष्ट्र सरकार को विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के लिए समय पर वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे। राज्य को प्राप्त 7,022 करोड़ रुपये का उपयोग सड़क, पुल, सिंचाई, शहरी विकास और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं सहित विभिन्न विकास कार्यों में किया जा सकेगा। इसके अलावा सरकार इस राशि का इस्तेमाल पूंजीगत व्यय बढ़ाने और जनता के लिए संचालित कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने में भी करेगी। अतिरिक्त वित्तीय सहायता से राज्य सरकार सामाजिक कल्याण, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य जनहित योजनाओं के लिए संसाधनों का बेहतर उपयोग कर सकते हैं।

महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला

पिंक ई-रिक्शा योजना में अनुदान बढ़कर 40% हुआ, अब 5,000 महिलाओं को मिलेगा लाभ

आशीष मिश्रा

मुंबईः महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने पिंक ई-रिक्शा योजना में संशोधन करते हुए सरकारी अनुदान को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया है। हालांकि, योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या 10,000 से घटाकर 5,000 कर दी गई है। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य जरूरतमंद महिलाओं को रोजगार, आर्थिक सशक्तिकरण और सुरक्षित आजीविका के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी शासनादेश (ऋफ) के अनुसार, योजना के तहत ई-रिक्शा खरीदने वाली पात्र महिलाओं को वाहन की कुल कीमत का 40 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार अनुदान के रूप में देगी। शेष 60 प्रतिशत राशि लाभार्थी को वहन करनी होगी। नई व्यवस्था के अनुसार लाभार्थी को कुल लागत का कम से कम 10 प्रतिशत स्वयं जमा करना होगा। बची हुई राशि आपूर्तिकर्ता कंपनी की ब्याज-मुक्त ह्यपार्शियल डिफर्ड पेमेंट फैसिलिटीह्ल या सहकारी, राष्ट्रीयकृत अथवा सरकार द्वारा अनुमोदित निजी बैंकों से ऋण लेकर जुटाई जा सकेगी। इससे महिलाओं पर एकमुश्त आर्थिक बोझ कम होने की उम्मीद है।पिंक ई-रिक्शा योजना फिलहाल महाराष्ट्र के आठ जिलों के प्रमुख शहरों में लागू की जा रही है। योजना का उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना तथा सुरक्षित आजीविका सुनिश्चित करना है। महाराष्ट्र सरकार का मानना है कि बढ़ी हुई सब्सिडी से अधिक जरूरतमंद महिलाएं स्वरोजगार की ओर कदम बढ़ा सकेंगी। पिंक ई-रिक्शा योजना महिलाओं को सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र में अवसर देने के साथ उनकी आय बढ़ाने और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम पहल मानी जा रही है। इससे राज्य में महिला उद्यमिता और सुरक्षित रोजगार को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

SRA स्कीम के नाम पर 5.57 करोड़ की ठगी

▸▸ वर्षा गायकवाड़ के पूर्व PA समेत 4 के खिलाफ FIR दर्ज

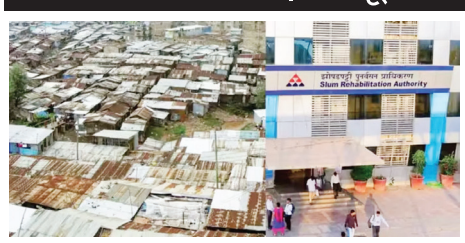

मुंबईः मुंबई में स्लम पुनर्विकास प्राधिकरण (एसआरए) से जुड़ा एक बड़ा कथित घोटाला सामने आया है। प्रकल्प प्रभावित लोगों को एसआरए आवास दिलाने के नाम पर 47 लोगों से करीब 5.57 करोड़ रुपए की ठगी किए जाने का मामला उजागर हुआ है। इस मामले में कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड के पूर्व निजी सहायक तथा शिवसेना (उद्धव गुट) के विधायक संजय पोतनीस के पूर्व पीए विश्वनाथ जाधव समेत चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वर्ष 2017 से अब तक बांद्रा, सांताक्रूज, माटुंगा, अंधेरी और कांदिवली क्षेत्र की एसआरए परियोजनाओं में आवास दिलाने का झांसा देकर लोगों से करोड़ों रुपए वसूले गए। आरोप है कि आरोपियों ने एसआरए के वरिष्ठ अधिकारियों से करीबी संबंध होने का दावा कर लोगों का विश्वास जीता और उनसे धनराशि ली। जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने एसआरए परियोजनाओं की सदनिकाओं के फर्जी कब्जा पत्र, कलेक्टर कार्यालय और एसआरए अधिकारियों के कथित हस्ताक्षर एवं मुहर वाले नकली लेटरहेड तैयार कर लोगों को दिए।

फर्जी दस्तावेजों के जरिए की गई ठगी

>> इस मामले में विश्वनाथ जाधव, शैलेश काकण, रुपेश बेल्हेकर और अभिषेक गुज्जर के खिलाफ धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

>> मुंबई की एसआरए पुनर्विकास परियोजनाओं से जुड़े इस कथित घोटाले में दस्तावेजों में जालसाजी, आर्थिक अनियमितता, विश्वासघात और धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए हैं। जांच एजेंसियों को संदेह है कि निवेशकों और लाभार्थियों से प्राप्त धन का दुरुपयोग किया गया तथा परियोजनाओं के नाम पर अनियमित वित्तीय लेनदेन किए गए।

फिलहाल पुलिस और संबंधित एजेंसियां दस्तावेजों की सत्यता, वित्तीय लेनदेन और आरोपियों की भूमिका की जांच कर रही हैं। जांच पूरी होने के बाद ही इस मामले में कथित घोटाले की पूरी तस्वीर और जिम्मेदार लोगों की भूमिका स्पष्ट हो सकेगी।

फडणवीस कैबिनेट ने लिए ये आठ ऐतिहासिक निर्णय

मुंबईः महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल हमेशा बनी रहती है, लेकिन हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक ने राज्य के विकास और प्रशासन की दिशा में कुछ ऐसे ठोस कदम उठाए हैं, जिनका सीधा असर आम जनता के जीवन पर पड़ने वाला है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दानों उपमुख्यमंत्री के नेतृत्व में हुई इस बैठक में 8 प्रमुख फैसलों पर मुहर लगाई गई है। ये निर्णय केवल प्रशासनिक सुधार ही नहीं हैं, बल्कि न्याय व्यवस्था को आम आदमी के दरवाजे तक पहुंचाने की एक बड़ी कोशिश भी हैं।

गोपीनाथ मुंडे योजना का विस्तारः कैबिनेट का सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण फैसला किसानों के कल्याण से जुड़ा है। गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना को अगले तीन साल के लिए विस्तार दे दिया गया है। खास बात यह है कि अब इस योजना का दायरा बढ़ा दिया गया है। पहले जहां इसमें कुछ सीमाएं थीं, अब इसमें भूमिहीन खेतिहर मजदूर और महिला किसानों को भी शामिल किया गया है। महिला किसान सशक्तिकरण कानून के चलते अब ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को एक नया संबल मिलेगा, जिससे दुर्घटना की स्थिति में उनके परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिल सकेगी।

मुंबई में बिजली बिल भुगतान की स्मार्ट व्यवस्था : मुंबई शहर में रहने वाले लोगों और सरकारी विभागों के लिए भी एक बड़ी खबर है। अब मुंबई के सभी सरकारी कार्यालयों और इटउ के बिजली बिलों का भुगतान इएरळ की कंपोजिट बिलिंग प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। इस केंद्रीकृत व्यवस्था से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि बिलिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुधार भी आएगा।

सूचना का अधिकार होगा और भी मजबूत : पारदर्शिता की दिशा में कदम बढ़ाते हुए, महाराष्ट्र राज्य सूचना आयोग में राज्य सूचना आयुक्त के तीन नए पदों को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही इन पदों के लिए आवश्यक सहायक अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती को भी हरी झंडी दिखा दी गई है, जिससे फ्छक आवेदनों के निपटारे में तेजी आएगी।

सिल्लोड और चांदवड में नई सौगातः ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय पाने के लिए लोगों को दूर न जाना पड़े, इसके लिए सरकार ने अदालतों का जाल बिछाया है। छत्रपति संभाजीनगर जिले के सिल्लोड में अब जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय के साथ सरकारी वकील कार्यालय खोला जाएगा। वहीं, नासिक के चांदवड में वरिष्ठ स्तर का दीवानी न्यायालय शुरू करने और उसके लिए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है।

किनवट और केज में कानूनी सशक्तिकरणः नांदेड जिले के किनवट में भी एक व्यापक न्यायिक ढांचा तैयार किया जा रहा है। यहां जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय, सरकारी वकील कार्यालय और वरिष्ठ स्तर का दीवानी न्यायालय, तीनों ही स्थापित किए जाएंगे। इसी तरह बीड जिले के केज में भी वरिष्ठ स्तर का दीवानी न्यायालय शुरू करने के लिए आर्थिक प्रावधानों को स्वीकृति मिल गई है।

पिंपरी-चिंचवड के लिए विशेष मोटर वाहन न्यायालय : बढ़ते शहरीकरण और ट्रैफिक संबंधी विवादों को देखते हुए पुणे के पिंपरी-चिंचवड में एक विशेष मोटर वाहन न्यायालय की स्थापना का निर्णय लिया गया है। इससे दुर्घटनाओं और वाहन संबंधी कानूनी मामलों का निपटारा तेजी से हो सकेगा। इन 8 बड़े फैसलों के जरिए सरकार ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि वे समाज के हर तबके चाहे वह खेत में पसीना बहाने वाला मजदूर हो या न्याय की उम्मीद में कोर्ट के चक्कर काटने वाला आम नागरिक सभी के साथ मजबूती से खड़े हैं।

जन भागीदारी संकल्प मोर्चा

आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में नए विकल्प के रूप में उभरा

प्यूपिल्स टाइम्स

लखनऊः आगामी 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए लगभग 25 राजनीतिक दलों और संगठनों का गठबंधन जन भागीदारी संकल्प मोर्चा के नाम से एक नए विकल्प के रूप में सामने आया है। प्रेस वार्ता में मोर्चा के नेताओं ने कहा कि अब तक सत्ता में रही सरकारें जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरीं, जिससे जनता में असंतोष है। इसी को देखते हुए सभी दल एकजुट होकर 2027 में चुनाव लड़ेंगे और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए सरकार बनाने के लिए संकल्पित हैं। नेताओं ने बताया कि सरकार बनने पर पहली कैबिनेट में संविदा व आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा, पुरानी पेंशन योजना बहाल होगी, नर्सरी से उच्च शिक्षा तक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी और भूमिहीन गरीबों को भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही कर प्रणाली में सुधार और जलमार्ग को सुदृढ़ करने का काम किया जाएगा। इस अवसर पर भारतीय स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वीरेंद्र शर्मा जी, जनार्दन चौहान, सुनील श्रीवास्तव, अरुण कुमार श्रीवास्तव सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे।

महाराष्ट्रः जिला परिषद शिक्षकों की पदोन्नति के लिए TET/CTET अनिवार्य

31 अगस्त तक प्रक्रिया पूरी करने के आदेश

मुंबईः जिला परिषद के शिक्षकों की पदोन्नति (प्रमोशन) प्रक्रिया को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने महत्वपूर्ण शासनादेश जारी किया है। नागपुर खंडपीठ के फैसले के आधार पर स्कूल शिक्षा विभाग ने पदोन्नति के लिए नई और समयबद्ध प्रक्रिया तय की है। इसके तहत केवल टीईटी या सीटीईटी उत्तीर्ण पात्र शिक्षकों को ही विस्तार अधिकारी, केंद्र प्रमुख, मुख्याध्यापक और स्नातक शिक्षक जैसे पदों पर पदोन्नति दी जाएगी। सरकार ने वर्ष 2026 की पूरी पदोन्नति प्रक्रिया 31 अगस्त तक पूरी करने के निर्देश दिए हैं। शासनादेश के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के निदेर्शों के बाद शिक्षक पदोन्नति के लिए टीईटी या सीटीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया है। इससे पहले प्राथमिक शिक्षा निदेशक द्वारा 14 मई 2026 को जारी पत्र पर नागपुर खंडपीठ ने आपत्ति जताते हुए उसे निरस्त कर दिया था। इसके बाद राज्यभर में पदोन्नति के लिए एक समान मानदंड लागू करने हेतु सरकार ने नई कार्यप्रणाली निर्धारित की है। महाराष्ट्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि 10 जुलाई 2026 से पहले जिन जिला परिषदों में पदोन्नति प्रक्रिया पूरी होकर आदेश जारी हो चुके हैं, वे यथावत मान्य रहेंगे। वहीं, 14 मई के पत्र के कारण जो पात्र शिक्षक पदोन्नति से वंचित रह गए थे, उन्हें अब पदोन्नति मिलने पर उनकी मूल वरिष्ठता सुरक्षित रखी जाएगी। अगस्त 2026 के पहले सप्ताह में पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित करना अनिवार्य होगा।

E-KYC नहीं तो वेतन नहीं: शालार्थ प्रणाली के माध्यम से वेतन प्राप्त करने वाले आंशिक अनुदानित, निजी अनुदानित और जिला परिषद स्कूलों के सभी शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के लिए ई-केवाईसी पूरा करना अनिवार्य कर दिया गया है। ई-केवाईसी नहीं कराने वाले कर्मचारियों का सितंबर में मिलने वाला अगस्त माह का वेतन जारी नहीं किया जाएगा। इसके लिए अब कोई अतिरिक्त समय-सीमा नहीं दी जाएगी। प्राथमिक शिक्षा निदेशक शरद गोसावी और माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेश पालकर ने विभागीय शिक्षा उपसंचालक, शिक्षा अधिकारियों, शिक्षा निरीक्षकों तथा वेतन एवं भविष्य निर्वाह निधि पथक के अधीक्षकों को सभी संबंधित स्कूलों को तत्काल सूचना देने के निर्देश दिए हैं।

Result Guarantee Above 90% or Money Back
If U R Not Joining Home Tuitions Then U R Missing Many Things
Mumbai's No.1 Premium Home Tuitions Academy
MUMBAI HOME & PRIVATE TUITIONS
1st to 10th ICSE / CBSE / IB / IGCSE / NIOS / State Boards
XI & XII Sci / Comm. IIT, NEET, MHT-CET
Engg, Degree, Diploma, B.Com, Bsc., BMS, MBA, Gmat, Cat, CET, English Speaking
Rajendra Deshmukh MANAGING DIRECTOR
Any Class Home Tuitions Across Mumbai
Get Admission in MBBS
NEET Qualified / Unqualified Fees 25 Lacs (Inc. Food Acc.)
ADMISSIONS OPEN
Branches : Andheri - Worli - Jogeshwari - Malad - Badar - Borivali - Virar
Thane - Vashi - Nerul - Kharghar - Ambernath - Badlapur
Home Tuitions Benefits
Contact : 902 902 9222 / 80 80 80 34 12 / 8446642380 / 9209128153
https://www.mumbaihometutors.com

PRIME KEYS PROPERTIES
Beyond Dreams
BUY | SELL | RENT
FLATS · SHOPS · BUNGALOWS
LANDS · REDEVELOPMENT
Trusted Property Consultant
Residential & Commercial Deals
Best Market Price Assistance
Contact:
+91 9167378057
Your Dream Property, Our Priority

DR. ZUBER SHAH HOSPITAL & POLYCLINIC
Ambernath (W), Maharashtra
Nursing Home Reg. No.: THN-C274*
FACILITIES AVAILABLE
24x7 Emergency Care - Immediate Critical Support
Diabetology & Advanced Diabetic Care
Fever Treatment (Dengue, Chikungunya, Malaria, Influenza)
Cardiology Checkup & ECG Facility
General Medicine Consultation
Vaccination & Immunization Services
Minor Surgical Procedures
OPD & IPD Care Available
Complete Health Checkups
24 HOURS EMERGENCY SERVICE AVAILABLE
DR. ZUBER S. SHAH
M.B.B.S (Reg. No. 2024020955)
Cert. in Diabetology & Emergency Medicine
+91 9323594085 / 8237304085 | Buvapada, K B Road, Ward No. 2/2, Ambernath West, Thane
Woolen Chawl OPD : 8:00 pm to 11:30 pm | OPD Amber Care : 8149477110

दिमाग को सुपर शार्प और दिल को जवान रखता है अखरोट

■ डॉ. आशीष मिश्रा
श्रीराम पॉलिक्लिनिक व आयुर्वेदिक दवाखाना

हेल्दी रहने के लिए हम अक्सर कई तरह के सुपरफूड्स की तलाश में रहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा नट भी है, जिसे सेहत का खजाना कहा जाता है? जी हां, हम बात कर रहे हैं अखरोट की। यह सिर्फ स्वाद में ही लाजवाब नहीं है, बल्कि हमारे शरीर को अंदर से फौलादी बनाने और दिमाग को तंदुरुस्त रखने में भी इसका कोई जवाब नहीं है। इसमें मौजूद ओमेगा-3, एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल्स हमारे पूरे शरीर पर जादुई असर डालते हैं। आइए जानते हैं कि रोजाना थोड़ी-सी मात्रा में अखरोट खाना आपकी सेहत के लिए कैसे वरदान साबित हो सकता है।

दिल का रखे खास ख्याल : अखरोट आपके दिल का सच्चा दोस्त है। इसमें भरपूर मात्रा में ओमेगा-3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो शरीर से खराब कोलेस्ट्रॉल को घटाता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करता है। इसके नियमित सेवन से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा भी काफी हद तक कम हो जाता है।

दिमाग को बनाए सुपर शार्प : अगर आप अपनी याददाश्त और दिमागी चुस्ती बढ़ाना चाहते हैं, तो अखरोट बेहतरीन विकल्प है। ओमेगा-3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होने के कारण यह मस्तिष्क की कार्यक्षमता को तेजी से बढ़ाता है।

वजन कंट्रोल करने में असरदार : बार-बार भूख लगने की आदत से परेशान हैं? अखरोट को अपनी डाइट में शामिल करें। इसे खाने से पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है, जिससे खाने की इच्छा कम होती है। इसमें मौजूद हेल्दी फैट्स आपको भरपूर एनर्जी देने के साथ-साथ वजन को भी संतुलित रखते हैं।

बढ़ती उम्र को रोके और स्किन बनाए हेल्दी : अखरोट एंटीऑक्सीडेंट्स का सबसे शानदार सोर्स है। इसमें मौजूद विटामिन-ई और पॉलीफेनॉल्स शरीर में फ्री रैडिकल्स से लड़ते हैं। इसका सीधा फायदा यह होता है कि उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और स्किन हमेशा हेल्दी रहती है।

ब्लड शुगर को करे कंट्रोल : डायबिटीज के मरीजों के लिए अखरोट विशेष रूप से लाभकारी है। इसका सेवन करने से शरीर में इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है, जिससे ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित रखने में बहुत मदद मिलती है।

हड्डियों और दांतों को बनाए मजबूत : अखरोट में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस जैसे जरूरी मिनरल्स पाए जाते हैं। ये पोषक तत्व आपकी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाते हैं। इसके अलावा, यह उम्र के साथ होने वाली हड्डियों की बीमारी 'ऑस्टियोपोरोसिस' के खतरे को भी कम करता है।

पाचन तंत्र रहता है दुरुस्त : अगर आप पेट से जुड़ी समस्याओं से बचे रहना चाहते हैं, तो अखरोट खाना फायदेमंद है। इसमें फाइबर की बहुत अच्छी मात्रा होती है, जो पाचन तंत्र को एकदम दुरुस्त रखता है और कब्ज जैसी परेशानियों से बचाता है।

स्ट्रेस छूमंतर, नींद आए बेहतर: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव आम बात हो गई है। अखरोट में मौजूद मैग्नीशियम और ओमेगा-3 फैटी एसिड चिंता और मेंटल स्ट्रेस को कम करने में मदद करते हैं। रोजाना 5झ6 अखरोट खाने से आपका मूड बेहतर रहता है और रात को नींद भी बहुत सुकून भरी आती है। रोजाना 5 से 7 अखरोट खाने की छोटी सी आदत आपकी ऊर्जा और स्वास्थ्य दोनों को चमत्कारी रूप से बढ़ा सकती है।

'यह परिशिष्ट किसी एक मत या संप्रदाय का प्रचार नहीं, बल्कि मानवता, नैतिकता, आध्यात्मिकता और सहअस्तित्व के सार्वभौमिक मूल्यों का मंच है।'

'आध्यात्मिक संवाद'

सावन महीने में जानें हरियाली अमावस्या का धार्मिक महत्व

■ गौरव सिंह/प्यूपिल्स टाइम्स

सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। इस पूरे माह में शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ती है और व्रत, पूजा व अभिषेक का विशेष महत्व रहता है। इसी पावन महीने में आने वाली अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहा जाता है। इसे श्रावण अमावस्या या सावन अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। हरियाली अमावस्या प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का पर्व है। इस दिन पौधारोपण, भगवान शिव की पूजा, पितरों का तर्पण और दान-पुण्य करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा से किए गए शुभ कार्यों का कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। पंचांग के अनुसार वर्ष 2026 में हरियाली अमावस्या 12 अगस्त, बुधवार को मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि का प्रारंभ 12 अगस्त को रात्रि 1 बजकर 52 मिनट पर होगा और इसका समापन 13 अगस्त को सुबह 8 बजकर 23 मिनट पर होगा। हिंदू धर्म में उदयातिथि को मान्यता दी जाती है, इसलिए हरियाली अमावस्या का व्रत और पूजन 12 अगस्त को किया जाएगा। सावन का महीना वर्षा ऋतु का सबसे सुंदर समय माना जाता है। इस दौरान धरती हरी-भरी हो जाती है और चारों ओर हरियाली दिखाई देती है। खेतों में नई फसल लहलहाने लगती है और पेड़-पौधे नए जीवन से भर उठते हैं। इसी कारण सावन की अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हरियाली समृद्धि, सुख और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। यह पर्व हमें प्रकृति के संरक्षण और वृक्षों के महत्व का संदेश देता है। सनातन धर्म में अमावस्या तिथि को स्नान, दान और पितृ तर्पण के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। वहीं सावन में पड़ने वाली अमावस्या का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यह भगवान शिव की प्रिय तिथियों में से एक मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने, भगवान शिव का पूजन करने, पितरों का तर्पण करने और जरूरतमंदों को दान देने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। कई धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि श्रद्धा से किए गए दान और सेवा से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा जीवन में सुख-समृद्धि का मार्ग

प्रशस्त होता है। हरियाली अमावस्या का सबसे प्रमुख संदेश प्रकृति की रक्षा करना है। वर्षा ऋतु में लगाए गए पौधे आसानी से विकसित होते हैं, इसलिए इस दिन पौधारोपण करना बेहद शुभ माना गया है। इस अवसर पर पीपल, बरगद, नीम, बेल, शमी, कदंब, आंवला और आम जैसे पौधे लगाने की परंपरा है। धार्मिक मान्यता के साथ-साथ इन वृक्षों का पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान है। एक पौधा लगाना आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन का उपहार देने के समान माना जाता है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है, इसलिए हरियाली अमावस्या के दिन शिव पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन भक्त शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और पुष्प अर्पित करते हैं। कई श्रद्धालु इस दिन रुद्राभिषेक भी कराते हैं। मान्यता है कि भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने से परिवार में सुख-शांति आती है, कष्ट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हरियाली अमावस्या के दिन सुबह स्नान कर भगवान शिव की पूजा करें। पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें और उसकी परिक्रमा करें। पितरों के निमित्त तर्पण करें तथा अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र या अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान करें। यदि संभव हो तो इस दिन कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं और उसकी देखभाल का संकल्प लें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन हरे-भरे पेड़-पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तामसिक भोजन, नशा और किसी भी प्रकार के विवाद से दूर रहना चाहिए। अमावस्या के दिन क्रोध, कटु वचन और नकारात्मक विचारों से बचने की भी सलाह दी जाती है। हरियाली अमावस्या पर दान को विशेष पुण्य देने वाला माना गया है। विशेष रूप से अन्नदान को सबसे श्रेष्ठ दान बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार भूखे व्यक्ति को भोजन कराना अनेक यज्ञों के समान फलदायी माना जाता है। सनातन परंपरा के विभिन्न ग्रंथों में दान के महत्व को विस्तार से बताया गया है। दान की महिमा की उल्लेख करते हुए श्रीमद् भगवतगीता में कहा गया है-

दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे ।
देशे काले च पात्रे च तद्दानं
सात्त्विकं स्मृतम् ॥

जो दान बिना प्रतिफल की कामना से यथोचित समय और स्थान में किसी सुपात्र को दिया जाता है वह सात्विक दान माना जाता है।

यदि इस शुभ अवसर पर आप किसी जरूरतमंद बच्चे, निर्धन परिवार या असहाय व्यक्ति के भोजन की व्यवस्था करते हैं, तो यह भगवान शिव की सच्ची आराधना के समान माना जाता है।

पेज-1 का शेष

सांसदों को पीएम मोदी की नसीहत...

बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने अपने अनुभव से एक उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह वह उस पल में पूरी तरह मौजूद थे और किसी और बात के बारे में नहीं सोच रहे थे, ठीक वैसे ही वह हमेशा उसी पल पर ध्यान केंद्रित रखने और उसी में जीने की कोशिश करते हैं. उनका कहना था कि वर्तमान में जीने से ही काम में अच्छे नतीजे मिलते हैं।

यूपी के सभी सरकारी स्कूलों का होगा सुरक्षा ऑडिट...

सुरक्षा ऑडिट के लिए एजेंसी का चयन किया जा चुका है। टीम का ओरिएंटेशन हो चुका है और अगले दो से तीन माह में सर्वे शुरू होगा। हर जिले में 31 सदस्यीय इस टीम में सिविल इंजीनियर, अग्नि एवं ऊर्जा सुरक्षा विशेषज्ञ, आईटी विशेषज्ञ और फील्ड अधिकारी शामिल होंगे।

महाराष्ट्रः वोटर लिस्ट अपडेट की समय-सीमा फिर बढ़ी...

निर्वाचन आयोग के अनुसार दावे और आपत्तियां प्राप्त होने के बाद संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए जाएंगे, सुनवाई होगी और सभी मामलों का निस्तारण 22 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद 27 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े फैसले...

कैबिनेट ने खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजगीर स्थित राज्य खेल अकादमी परिसर में 'स्पोर्ट्स साइंस सेंटर' की स्थापना और संचालन को भी मंजूरी दी। इस परियोजना पर लगभग 25 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं, ज्ञान भारतम मिशन के तहत प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण और मेटाडाटा निर्माण की योजना के लिए 6.23 करोड़ रुपए से अधिक की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। बैठक में शहरी जलापूर्ति को मजबूत करने के लिए अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत जमालपुर जलापूर्ति परियोजना के लिए 102.22 करोड़ रुपए तथा मुंगेर जलापूर्ति परियोजना (फेज-1) के लिए 177.72 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। उद्योग विभाग के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) निदेशालय के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी गई।

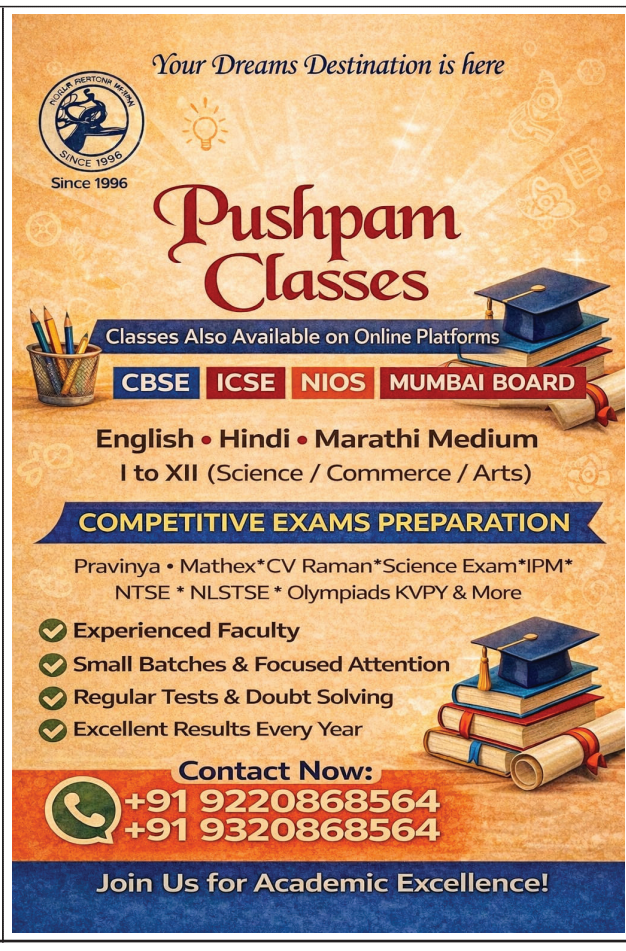

राज्यानां मध्ये वर्धिता जलराजनीतिः

परिवर्तमानेन जलवायुमानेन वर्धिता चिन्ता

कावेरीतः महानदीपर्यन्तं जलविवादाः, समाधानाय सहयोगस्य वैज्ञानिक-प्रबन्धनस्य च आवश्यकता

प्यूपिल्स टाइम्स/विशेषवार्ता

अल्पवृष्टेः सम्भावना तथा अल्-नीनो-प्रभावस्य कारणेन देशे अन्तर्राज्यीय-जलविवादाः पुनः चचार्याः केन्द्रे आगताः सन्ति। ओडिशा-छत्तीसगढयोः महानदी-विवादः, कर्नाटक-तमिलनाडुयोः कावेरी-विवादः, महाराष्ट्र-गुजरातयोः जलसम्बन्धिनः विषयाः च जलसंसाधनानां समुचित-प्रबन्धनस्य आवश्यकता प्रकाशयन्ति।

जलसंकटस्य आशङ्कया सह विभिन्नेषु राज्येषु राजनीतिक-गतिविधयः अपि तीव्रतां गताः सन्ति। कावेरी-जलविभाजनस्य विषये तमिलनाडु-कर्नाटकयोः मतभेदाः पुनः प्रकटिताः। तमिलनाडु-प्रशासनेन स्वस्य जलभागस्य प्राप्त्यर्थं सर्वोच्चन्यायालयस्य शरणं गृहीतम्, अपरस्मिन् पक्षे कर्नाटकात् अपि अस्मिन् विषये विरोधस्वराः श्रूयन्ते।

विशेषज्ञाः मन्यन्ते यत् जलविवादाः केवलं राजनीतिक-विषयाः न सन्ति, अपितु परिवर्तमानेन जलवायुमानेन, वर्धमानया जल-आवश्यकतया, जलस्रोतसां अनुचित-प्रबन्धनेन च सम्बद्धाः सन्ति। अल्पवृष्टेः कालेषु नदीप्रवाहस्य न्यूनतया कृषिः, भूमिगतजलस्रोतांसि, ग्रामीण-अर्थव्यवस्था च प्रत्यक्षरूपेण प्रभावितानि भवन्ति।

तथापि केचन राज्याः विवाद-समाधानस्य दिशि सकारात्मक-प्रयत्नान् कुर्वन्ति। ओडिशा-छत्तीसगढयोः मध्ये महानदी-विवादस्य समाधानाय संवादः तथा तकनीकी-अध्ययनं प्रारब्धम् अस्ति। तथैव नर्मदा-परियोजनासम्बद्धाः दीर्घकालीनाः मतभेदाः अपि परस्पर-सहमत्या समाधानं प्राप्तवन्तः।

जलविशेषज्ञाः कथयन्ति यत् भविष्यस्य प्रमुखः प्रश्नः केवलं अधिकजलस्य प्राप्तिः न, अपितु उपलब्ध-जलसंसाधनानां वैज्ञानिकः, न्यायपूर्णः, दीर्घकालिकश्च उपयोगः अस्ति। राज्येषु परस्पर-सहयोगः, वर्षाजल-संरक्षणम्, कृषिपद्धतीनां विविधीकरणम्, प्रभावी-जलप्रबन्धनं च स्थायी-समाधानस्य मार्गं प्रशस्तयिष्यन्ति।

जलम् न केवलं कस्यचित् राज्यस्य सम्पत्तिः, अपितु सम्पूर्ण-मानवसमाजस्य अमूल्यः प्राकृतिक-संसाधनः अस्ति। अतः जलविवादानां समाधानं संघर्षेण न, अपितु संवादेन, सहयोगेन, वैज्ञानिक-दृष्टिकोणेन च सम्भवम्।

CWG 2026 : भारतस्य प्रदर्शनम्

गुणवत्तायाः वृद्धिः, विविधतायाः च चुनौती

प्यूपिल्स टाइम्स/ क्रीडा-विशेष-अध्ययनम्

ग्लास्गोः राष्ट्रमण्डल-क्रीडा-स्पर्धा 2026 मध्ये भारतस्य प्रदर्शनं दर्शयति यत् देशस्य क्रीडाक्षमता निरन्तरं सुदृढा भवति। ग्लास्गोनगरे आयोजितायां अस्यां स्पधार्यां भारतम् त्रयोदश सुवर्णपदकानि, सप्तदश रजतपदकानि, नव कांस्यपदकानि च प्राप्तवान्। एवं भारतस्य क्रीडकैः कुलतः एकोनचत्वारिंशत् पदकानि अर्जितानि, पदक-तालिकायां च भारतं चतुर्थस्थाने स्थितम्।

भारतीय-क्रीडकानां प्रदर्शनं विशेषतः मुष्टियुद्धे, भारोत्तोलने, धावन-क्रीडासु तथा दिव्याङ्ग-क्रीडासु अत्यन्तं प्रभावशाली आसीत्। मुष्टियुद्ध-क्रीडायां भारतीय-क्रीडकैः उत्कृष्टं कौशलं प्रदर्शितम्, येन अन्तर्राष्ट्रीयस्तरे भारतस्य वर्धमानं सामर्थ्यं पुनः प्रमाणितम्। भारोत्तोलन-क्रीडायामपि क्रीडकैः पदकानि प्राप्य देशस्य गौरवपूर्णा परम्परां अग्रे नीतानि।

परन्तु भारतस्य सम्मुखे प्रमुखा चुनौती क्रीडा-विविधतायाः विस्तारः अस्ति। जलक्रीडा, जिम्नास्टिक, साइकिल-क्रीडा तथा अन्येषु ओलम्पिक-क्रीडाविधिषु भारतस्य प्रगतेः कृते अद्यापि दीर्घः मार्गः अवशिष्टः अस्ति। विश्वस्य अग्रणी-क्रीडा-राष्ट्राणां सफलता केवलं कतिपयेषु क्रीडा-विधिषु उत्कृष्टतायां न, अपितु विविधेषु क्रीडा-क्षेत्रेषु सुदृढाधार-निमार्णे निहिता भवति।

भारतस्य दिव्याङ्ग-क्रीडकानां प्रदर्शनमपि अत्यन्तं प्रेरणादायकम् आसीत्। एतत् सिद्धयति यत् समुचित-प्रशिक्षणेन, वैज्ञानिक-सहायतया, उत्तम-सुविधाभिश्च

भारतीय-क्रीडकाः विश्वस्तरे महत्त्वपूर्णाः उपलब्धीः प्राप्तुं समर्थाः भवन्ति।

विशेषज्ञाः मन्यन्ते यत् राष्ट्रमण्डल-क्रीडा 2026 भारतस्य कृते आत्ममन्थनस्य अवसरः अस्ति। प्रतिभा-अन्वेषणम्, आधुनिक-प्रशिक्षण-पद्धतिः, क्रीडा-विज्ञानम्, पोषणम् तथा मानसिक-सुदृढता इत्येतेषु क्षेत्रेषु अधिकं निवेशः आवश्यकः अस्ति।

राष्ट्रमण्डल-क्रीडा 2026 दर्शयति यत् भारतं क्रीडा-शक्तिरूपेण शनैः शनैः अग्रे गच्छति। अधुना लक्ष्यं केवलं पदक-संख्यावृद्धिः न भवेत्, अपितु प्रत्येकस्मिन् क्रीडा-विधौ विश्वस्तरीय-प्रतिस्पधार्याः क्षमता-विकासः भवेत्।

स्वप्नः वा आवश्यकता ?

आवश्यकताः विवेकेन पूर्यन्ते, स्वप्नाः पुरुषार्थेन साकाराः भवन्ति

Dr. Vandana Mishra
M. A. NET (JRF) PHD

प्यूपिल्स टाइम्स/संस्कृत-नाट्यम्

पात्राणि-सूत्रधारः, आचार्यः, आदित्यः, विवेकः, माता, वणिक।

दृश्यम्-१ : आवश्यकतायाः बोधः

(विद्यालये आचार्यः विद्यार्थिभिः सह संवादं करोति।)

आचार्यः-भोः विद्यार्थिनः! कथयत, आवश्यकतायाः स्वप्नस्य च कः भेदः?

आदित्यः-गुरो! या वस्तुः जीवननिवार्हार्थम् अनिवार्या भवति, सा आवश्यकता।

विवेकः-यत् मनसः अभिलाषारूपेण भवति, तत् स्वप्नम्।

आचार्यः-साधु उक्तम्। अर्थशास्त्रस्य दृष्ट्या या आवश्यकता स्वकीयया क्रयशक्त्या पूरयितुं शक्या, सैव यथार्था आवश्यकता। यत् तु अद्य क्रयशक्तेः बहिः अस्ति, तत् स्वप्नम्। परिश्रमेण, योजनया, सञ्चयेन च तदेव स्वप्नम् एकदा यथार्थरूपं प्राप्नोति।

दृश्यम्-२ : इच्छायाः नियन्त्रणम्

(गृहे आदित्यः मातया सह वार्तालापं करोति।)

आदित्यः-अम्ब! मम नूतना द्विचक्रिका क्रेतुं इच्छा अस्ति।

माता-वत्स! तव इच्छा उत्तमा अस्ति, किन्तु सम्प्रति अस्माकं पारिवारिकव्ययः तस्य अनुमतिं न प्रयच्छति। प्रथमम् आवश्यकव्ययाः पूरणीयाः, ततः इच्छानां पूर्तिः करणीयाः।

आदित्यः-तर्हि मम स्वप्नं कदा पूर्णं भविष्यति?

माता-धैर्यं धारय। संयमेन, सञ्चयेन, परिश्रमेण च उचितः स्वप्नः अवश्यं साकारो भवति।

दृश्यम्-३ : अर्थशास्त्रस्य सिद्धान्तः

(वणिक स्वस्य आपणस्थले स्थितः अस्ति।)

वणिक-जनानां इच्छाः अनन्ताः भवन्ति, किन्तु धनसाधनानि सीमितानि भवन्ति। अतः प्रत्येकः मनुष्यः स्वस्य आयव्ययानुसारं निर्णयं करोति।

आचार्यः-एवमेव। विवेकपूर्णः उपभोगः एव आर्थिकजीवनस्य आधारः अस्ति। केवलम् इच्छा न पर्याप्ता, तस्याः पूर्तये सामर्थ्यमपि आवश्यकम्।

दृश्यम्-४ : आत्मबोधः

(आदित्यः स्वमित्रेण विवेकेन सह संवादं करोति।)

आदित्यः-अधुना मया ज्ञातम्। आवश्यकता वर्तमानजीवनस्य अनिवार्या पूर्तिः अस्ति, स्वप्नं तु भविष्यस्य प्रेरणा।

विवेकः-सत्यम्। परिश्रमः, सञ्चयः, संयमश्च स्वप्नान् यथार्थरूपं नयन्ति।

दृश्यम्-५ : जीवनस्य सन्देशः

(सर्वे पात्राणि एकत्र आगच्छन्ति।)

सूत्रधारः-मनुष्यजीवने आवश्यकता मार्गदर्शिका भवति, स्वप्नः प्रेरणास्रोतः भवति। यः स्वकीयसामर्थ्यं ज्ञात्वा योजनापूर्वकं कार्यं करोति, स एव जीवनस्य लक्ष्यं प्राप्नोति।

अर्थशास्त्रः अस्मान् शिक्षयति यत् इच्छाः अनन्ताः सन्ति, संसाधनानि सीमितानि। अतः आवश्यकतानां पूर्तिः विवेकेन, स्वप्नानां सिद्धिः पुरुषार्थेन एव भवति।

(सर्वे एकस्वरेण)

"आवश्यकताः विवेकेन पूर्यन्ते, स्वप्नाः पुरुषार्थेन साकाराः भवन्ति।"

इति "स्वप्नः वा आवश्यकता?" नाम संस्कृत-नाट्यम् सम्पूर्णम्।

उपचुनाव-परिणामाः बिहार-मध्यप्रदेशयोः भाजपायै आघातः, गुजराते प्राप्ता राहतिः

प्रशान्तकिशोरस्य जनसुराजदलेन भाजपायाः परम्परागत-आसन्दी स्वीकृता, दतियायां पुनः काङ्ग्रेसस्य विजयः

प्यूपिल्स टाइम्स/राजनैतिक-विशेषवार्ता

नवदेहली। त्रिषु राज्येषु सम्पन्नानाम् विधानसभोपचुनावानां परिणामैः देशस्य राजनैतिक-परिदृश्ये नवीनचर्चा प्रारब्धा अस्ति। बिहार-मध्यप्रदेशयोः भारतीयजनतापक्षाय (भाजपायै) पराजयस्य सामना कर्तव्यः अभवत्, यदा तु गुजराते दलं स्वकीयं आसन्दीं रक्षितुं समर्थम् अभवत्। बिहारस्य प्रतिष्ठितायां बाकीपुर-विधानसभाक्षेत्रे सप्तदशवर्षेभ्यः अनन्तरं भाजपायाः प्रभुत्वं समाप्तम् अभवत्। जनसुराजदलेन प्रत्याशितः प्रशान्तकिशोरः भाजपायाः प्रत्याशी नीरजकुमारसिंहं १९,३२४ मतैः पराजितवान्। एषा विजयः विशेषरूपेण महत्त्वपूर्णा अस्ति,

यतः प्रशान्तकिशोरः पूर्वं विविधराजनैतिकदलानां निर्वाचन-रणनीतिनिमार्णे प्रमुखभूमिकां निर्वाहितवान् आसीत्। तस्य दलस्य एषः प्रथमः उल्लेखनीयः निर्वाचनप्रभावः मन्यते। राष्ट्रियजनतादलस्य प्रत्याशी तृतीयस्थाने स्थितः। मध्यप्रदेशस्य दतिया-विधानसभाक्षेत्रे काङ्ग्रेसप्रत्याशी घनश्यामसिंहः भाजपायाः आशुतोषतिवारीं षट्सहस्राधिकैः मतैः पराजितवान्। एतत् क्षेत्रं दीर्घकालं यावत् भाजपानेता नरोत्तममिश्रस्य सुदृढं राजनैतिकक्षेत्रम् आसीत्। अपरस्मिन् पक्षे गुजरातस्य वडोदरास्थिते मञ्जलपुर-विधानसभाक्षेत्रे भाजपाप्रत्याशी सत्येन्द्रपटेलः काङ्ग्रेसप्रत्याशिनं त्रिंशत्सहस्राधिकैः मतैः पराजित्य दलस्य आसन्दीं सुरक्षितवान्। एतेषां उपचुनाव-परिणामानां संकेतः अस्ति यत स्थानीयविषयाः, प्रत्याशिनां स्वीकार्यता, मतदातृणां परिवर्तमानाः प्राथमिकताश्च आगामिराजनैतिकदिशायां महत्त्वपूर्णां भूमिकां निर्वहिष्यन्ति। बिहार-मध्यप्रदेशयोः परिणामाः भाजपायै आत्ममन्थनस्य विषयः सन्ति, गुजरातस्य विजयः तु दलाय आश्वासनरूपेण प्राप्तः अस्ति।

ज्ञानभारतम्-अभियानम् : पश्चिमबङ्गे पाण्डुलिपि-संरक्षणस्य नवीनः प्रयासः

३.५ लक्षाधिकानां पाण्डुलिपीनां सर्वेक्षणं दस्तावेजीकरणं च सम्पन्नम् इति राज्यस्य कथनम्

प्यूपिल्स टाइम्स/संस्कृतिविशेषवार्ता

कोलकाता। भारतस्य प्राचीन-ज्ञानपरम्परायाः संरक्षणाय तस्याः च अक्षीय-स्वरूपेण सुरक्षित्यै प्रारब्धस्य ज्ञानभारतम्-अभियानस्य (GBM) अन्तर्गतं पश्चिमबङ्गराज्ये पाण्डुलिपीनां सर्वेक्षण-दस्तावेजीकरणयोः कार्यं तीव्रगतिना प्रचलति। पश्चिमबङ्ग-प्रशासनस्य अनुसारं राज्ये अधुना पर्यन्तं ३,५०,३९४ अधिकाः पाण्डुलिपयः सर्वेक्षिताः दस्तावेजीकृताश्च सन्ति। राज्यस्य सूचना-सांस्कृतिककार्य-विभागः अस्य अभियानस्य नोडल-विभागरूपेण कार्यं करोति। विभागेन पाण्डुलिपीनाम् अन्वेषणार्थं पारम्परिक-संग्रहकेन्द्रैः सह मठेषु, देवालयेषु, राजकीय-संग्रहालयेषु, शैक्षणिक-संस्थानेषु अन्येषु च संरक्षक-संस्थानेषु सर्वेक्षणस्य विस्तारः कृतः अस्ति। अनेन अभियानेन संस्कृत-तिब्बती-नेवारी-प्रभृतिभाषासु लिखितानां विविधविषयसम्बद्धानां दुर्लभ-पाण्डुलिपीनां परिचयः क्रियते। विभागेन जनसहभागितायाः वृद्ध्यर्थं समाचारपत्रमाध्यमेन अपि जनान् पाण्डुलिपीनां विषये सूचनां प्रदातुं आह्वानं कृतम् अस्ति। अधुना राज्यस्य लक्ष्यं पाण्डुलिपीनां व्यवस्थित-पञ्जीकरणम्, संरक्षणम्, अङ्कीयकरणम्, अनुसन्धानम्, व्यापकप्रचारः च सुनिश्चितं कर्तुम् अस्ति। एतदर्थं केन्द्र-सर्वकारात् तकनीकी-सहायता, विशेषज्ञ-प्रशिक्षणं, आवश्यक-संसाधनानि च प्राप्तुं योजना अस्ति। भारतस्य सहस्रवर्षीय-ज्ञानसम्पदः संरक्षणस्य दिशि एतत् अभियानं सांस्कृतिक-धरोहरायाः रक्षणार्थं महत्त्वपूर्णः प्रयासः मन्यते।

B.Ed. महाविद्यालयेषु कठोरताः

निरीक्षणे शैक्षणिकव्यवस्थायाः आह्वानानि प्रकाशितानि

पश्चिमबङ्गाले निज-शिक्षक-प्रशिक्षणसंस्थासु गुणवत्तायाः परीक्षणम्-आरब्धम्, मानकानाम्-अवहेलनां कुर्वत्सु संस्थानेषु भविष्यति नियमानुसारिणी कार्यवाही

प्यूपिल्स टाइम्स/शिक्षाविशेषः

कोलकाता। पश्चिमबङ्गाले निज-B.Ed. महाविद्यालयानां शैक्षणिकगुणवत्तायाः व्यवस्थायाश्च परीक्षणाय व्यापकः निरीक्षण-अभियानः प्रारब्धः अस्ति। Baba Saheb Ambedkar Education University इत्यस्य समन्वयेन निर्मिताः निरीक्षण-समितयः राज्यस्य विभिन्नेषु निज-शिक्षक-प्रशिक्षण-महाविद्यालयेषु गत्वा कक्षासञ्चालनम्, छात्राणाम् उपस्थिति, अध्यापकानां उपलब्धता, आधारभूत-सुविधाः च परीक्षन्ते। अस्य निरीक्षण-अभियानस्य मुख्योद्देश्यं भवति यत् B.Ed. महाविद्यालयानि निर्धारित-शैक्षणिक-मानकानुसारं सञ्चालितानि सन्ति वा न इति सुनिश्चितं करणम्। निरीक्षणकाले महाविद्यालयेषु पुस्तकालयः, प्रयोगशाला, अध्यापन-व्यवस्था, अभिलेखाः, छात्राणां

नियमित-उपस्थितिः इत्यादीनां व्यवस्थाणां समीक्षा क्रियते। निरीक्षण-अभियानस्य अवधौ केषुचित् संस्थानेषु अपेक्षित-शैक्षणिक-वातावरणस्य सुविधानां च विषये प्रश्नाः उपस्थिताः सन्ति। अधिकारिणः कथयन्ति यत् सवेर्षां संस्थानानां मूल्याङ्कनं निर्धारित-मानकानां आधारेण भविष्यति। ये संस्थानानि आवश्यक-मानकान् पूर्णं न करिष्यन्ति, तेषां विरुद्धं नियमानुसारिणी कार्यवाही भविष्यति। शिक्षक-प्रशिक्षण-संस्थानानां गुणवत्ता देशस्य भावि-शिक्षा-व्यवस्थां प्रत्यक्षरूपेण प्रभावितं करोति। अतः B.Ed. महाविद्यालयानां उद्देश्यं केवलं उपाधि-प्रदानं न भवेत्, अपितु योग्य, प्रशिक्षित, उत्तरदायी-शिक्षकाणां निर्माणम् एव भवेत्। पश्चिमबङ्गाले प्रारब्धम् एतत् निरीक्षण-अभियानं शिक्षक-शिक्षाक्षेत्रे पारदर्शितायाः, उत्तरदायित्वस्य, गुणवत्तासुधारस्य च दिशि महत्त्वपूर्णं चरणम् मन्यते।

Statement of General NS Raja Subramani CDS

'A united system can deal with future security challenges'

New Delhi: Chief of Army Staff (CDS) General NS Raja Subramani apprised the military officials about the future security challenges facing the three services. Said, we can protect our existence only by developing the skills to respond to those challenges. General Subramani has said this in the program of the three armies to consider the methods of future war and prepare themselves accordingly. This four-week course based program is conducted at Headquarters Integrated Defense Staff. In the program, CDS General Subramani said, the most important thing in this course is that we anticipate the future security challenges in time. With this, we will be able to deal with them easily and limit the impact of those challenges. Along with officers of the three armies, representatives of government, industry, academic institutions and strategic institutions are also participating in this program. This is the fourth edition of the course for officers of the three services to consider future security challenges. In the three previous editions, the armies have drawn up and put into practice the roadmap to prepare themselves for domestic, regional and global circumstances. In his address, the CDS stressed on developing artificial intelligence, cyber capability, developing autonomous systems, preparing for information-based warfare, working on space technology and incorporating data-based findings in the decision process to deal with future challenges. General Subramani expressed the need for better cooperation between the three services and allied institutions, working together to develop efficiency and promoting research work.

Walking on the footpath is a fundamental right

Supreme Court reprimanded the government

New Delhi: The Supreme Court has ordered the Central government to provide properly marked and encroachment-free space for pedestrians on all roads across the country. The top court also directed to ensure that no motor vehicles ply at the 'marked area' for pedestrians on the roads. Justice P.S. The bench comprising Narasimha and Alok Aradhe told the Government of India's Additional Solicitor General K.M. Told Nataraj to instruct the concerned authorities that there should be no encroachment on the space designated for pedestrians and it should be kept properly separated from the path of motor vehicles. Justice Narasimha told Additional Solicitor General Nataraj that without any major investment or construction, just ensure that pedestrian space on the roads is properly marked. Wherever there is a road, there should be space for pedestrians. Mark it with a rope or anything and make sure there is no encroachment on it. The apex court gave two weeks' time to the Additional Solicitor General to take instructions to the authorities. Fixing the hearing of the matter after two weeks, the bench stressed that pedestrians should have the confidence that this place is for them and they can walk without the fear of vehicles. In an important decision passed on June 19, the Supreme Court had said that 'the right to walk on marked footpath is a fundamental right under the Constitution. The top court had said that the fundamental right of a citizen to walk on the footpath is primary and it will be given priority over the movement of motor vehicles.

Concern over the functioning of the Pharmacy Council

■ *The Supreme Court on Monday expressed serious concern over the functioning of the Pharmacy Council of India (PCI) and questioned the propriety of granting approval to pharmacy colleges every year, saying the current system was creating uncertainty for students. A bench of Chief Justice Surya Kant, Justice Joymalya Bagchi and Justice V. Mohana asked why the old system continued despite the reforms proposed by the Central Government. The bench was hearing a petition filed by PCI regarding the Pharmacy College. The bench said that uncertainty in the approval process for pharmacy institutes is not good for the students. Justice Bagchi questioned the propriety of granting approval every year to institutions even though they had the necessary infrastructure.*

Bill related to birth and death certificate passed in Rajya Sabha

One mistake in registration and will have to go to court

New Delhi: The 'Birth and Death Registration (Amendment) Bill 2026' was passed by voice vote in the Rajya Sabha. Earlier this bill was passed in the Lok Sabha on July 31. During this, the opposition parties continuously raised slogans and demanded the presence of Union Home Minister Amit Shah in the House. They also raised slogans against the alleged theft of donations in Ayodhya Ram temple. The government clarified that there has been no change in the existing system of registration for one year. As before, registration will be done normally if information of birth or death is given within 21 days. But if there is a delay of 21 days to one year, registration can be done by paying late fee as per the prescribed rules. The government says that it is important for every child's birth to be registered on time, because on this basis he gets the benefits of education, identity, government schemes and other legal rights. Similarly, correct record of death is also important for administrative and legal processes. According to the new amendment bill, for registration of birth or death more than one year and within two years, the permission of the District Magistrate, Sub-Divisional Magistrate (SDM) or any officer appointed by them will be required. If any birth or death is registered with a delay of more than 2 years, now the registration can be done only after the order of the Judicial Magistrate. Apart from this, before granting permission, the concerned officer will have to thoroughly check the information and documents given, so that the records remain correct and authentic. The purpose of this bill is to make the rules of 'Birth and Death Registration Act, 1969' more stringent. Responding to the debate amid continuous sloganeering by opposition members, Minister of State for Home Nityanand Rai said that many members have explained the importance of the proposed law and urged the opposition to understand its purpose.

Indian Railway's gift to passengers on 'Reservation Against Cancellation' tickets

Railway Ministry's order issued

New Delhi: The Railway Ministry was receiving repeated complaints from 'Reservation Against Cancellation' (RAC) passengers that they were not receiving bedroll kits. In view of this, the Railway Ministry has reiterated its earlier order and has asked RAC travelers to provide complete bedroll kit.

RAC passengers will get complete bedroll kit

After receiving repeated complaints from almost all zones of the rail network, the Railway Ministry has reiterated its directive to provide bedsheets and blankets (linen and blankets) to passengers traveling on 'Reservation Against Cancellation' (RAC) status. Under the RAC system, two passengers are accommodated on the same berth. "Complaints about non-availability of bedroll kits or inadequate bedroll kits are still being received from RAC passengers through various channels," the ministry said in a letter dated August 4. The ministry further said in the letter, 'In view of this, it is reiterated that the instructi ons of the Railway Board should be strictly followed to ensure that every RAC passenger traveling in an AC coach (except AC chair car) gets a complete bedroll kit at par with other genuine passengers traveling in the coach.' According to the order of the Railway Ministry, now if two people travel together on one seat, they will also get a complete bedroll kit like other passengers.

Supreme Court's instructions

Those vehicles which are not insured will not get petrol

New Delhi: The Supreme Court has taken a strict stance on vehicles running without third-party insurance and has directed the Central Government to start a pilot project. The court said that vehicles which do not have valid third-party insurance should not be given fuel at petrol pumps. A bench of Justice Sanjay Karol and Justice Prashant Kumar Mishra said that a large number of vehicles in the country are plying on the roads without insurance, due to which the victims of road accidents do not get timely compensation. The court has asked the insurance regulator IRDAI and the Ministry of Road Transport and Highways to jointly work out a system in which fuel is provided only after checking the insurance status of the vehicle. For this, it has also been suggested to use Automatic Number Plate Recognition (ANPR) cameras. The Supreme Court said in its order that according to the 2024-25 report of the Parliament's Standing Committee on Finance, about 56 percent of the vehicles in the country are running without insurance. This number is around 16.54 crore vehicles, while the total number of registered vehicles in the country is around 30.48 crore.

The court said that under Section 146 of the Motor Vehicles Act, third-party insurance is mandatory for every vehicle, but it is not being followed properly. According to the court, if uninsured vehicles will not get fuel at petrol pumps, it will be easier to identify such vehicles and vehicle owners will also be motivated to get insurance done on time. The Ministry of Petroleum and Natural Gas has also not expressed any objection to this proposal.

How will this project be implemented

The Supreme Court also referred to its earlier order of 2018, which made it mandatory to purchase third-party insurance for three years for new cars and five years for new two-wheelers. Now the court has directed to extend this time. According to the new order, it will now be mandatory to take third-party insurance for 4 years for new cars and 6 years for new two-wheelers. The court has asked IRDAI to immediately issue necessary guidelines in this regard. Also, the state police have been directed to provide such mobile devices or apps with the help of which they can check the insurance status of the vehicle on the spot and issue e-challan on those breaking the rules. The court also said that in view of the problem of accidents on national highways and long queues at toll plazas, such a pilot project should be started on some roads, where vehicles can be identified through the automatic system and tax can be collected without stopping them at toll. Apart from this, instructions have been given to make arrangements for automatically issuing e-challan on uninsured vehicles by linking ANPR cameras with the data of Insurance Information Bureau and Vehicle Portal. The Supreme Court said that the purpose of compulsory insurance is not just to complete a legal formality, but to provide timely and appropriate compensation to road accident victims and their families, so that they do not have to go to the courts for years.

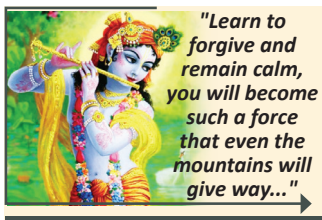

PUPILS TIMES

Don't answer a fool, Don't reject the wise. Don't let the good go, Don't accept the bad!!
Geeta Sermon

Friday, 07 August to 14 August 2026

Foreign Minister Dr. S. Jaishankar spoke to UN representatives from 17 countries

Pupils Times

Foreign Minister Dr. S. Jaishankar has said that multilateralism which shapes the aspirations of underdeveloped countries is the need of the hour in the changing world order. Dr. Jaishankar spoke to United Nations Permanent Representatives from 17 countries. These representatives have come to India on a study tour. The Foreign Minister said in a social media post that discussions were held with these representatives on technology, maritime security, peacekeeping, development partnership and disaster management.

Big decision in Yogi cabinet

Basic salary will be 50 percent of the salary of every worker in UP

Lucknow: There is good news for lakhs of workers and employers of UP. Uttar Pradesh Wage Code Rules-2026 were approved in the cabinet meeting chaired by Chief Minister Yogi Adityanath. After its implementation, now no eligible employee will be given a salary less than the minimum wage, no matter in which area, establishment or employment he is working. There is a provision in the Code that at least 50 percent of the total salary will be the basic salary. According to the new rules, employees will be able to get more benefits in social security schemes like Provident Fund, Employees' State Insurance and Gratuity. Equal pay for equal work, payment of dues within two days of termination of service, double overtime wages for work done beyond the regular working hours and giving salary slips will be mandatory. Under the new Labor Code, the system of fixing minimum wages has been

extended to all eligible employees. Wages will be determined on the basis of skill, nature of work and geographical area. No state government will be able to set minimum wages lower than the 'floor wage' fixed by the Central Government. At the same time, the maximum limit of statutory deduction from workers' wages has been fixed at 50 percent. The responsibility for payment of wages and bonus to contract workers will be on the main employer. A provision has also been made to pay the dues of the deceased employee to the nominated person and in his absence, to give the amount to the legal heir.

Employers and workers will not have to go to court

Employers have also been given relief in the new system. For the first time, there will be a provision of mitigation for violation of rules. Now only three registers and ten forms will have to be maintained, reducing the compliance burden. Other documents including annual statements can be submitted electronically. In the new code, a provision has also been made to make the labor inspection system transparent. Online and risk-based inspection system will be implemented and in place of 'Labour Inspector', there will be a system of 'Inspector-cum-Facility Provider', who will also provide advice and guidance to employers and employees along with compliance with the rules. Apart from this, a provision has been made for appeal before departmental officers in disputes. Earlier there was a provision of going to the High Court.

Shivkumar's direct message to angry MLAs

I will accept your resignation within a few minutes

Karnataka: After the cabinet expansion in Karnataka, dissatisfaction within the Congress has come to the fore. Many senior leaders and MLAs have expressed their displeasure over not getting ministerial posts. On this, Chief Minister DK Shivkumar clearly said that if any MLA wants to resign, he will accept it within a few minutes. He said that no individual is bigger than the party and all leaders should be patient. The Chief Minister directed his new ministers to start visiting the drought-hit districts from the very next day and monitor the relief work along with the officials. On Monday, the cabinet was expanded by 20 new MLAs taking oath as ministers. DK Shivkumar had also explained to the angry MLAs by giving the example of his political life. On Monday he said that he too had to face neglect many times, but never left the party. He said that during the era of Virendra Patil, S. Bangarappa and Dharam Singh also did not get the opportunity in the beginning, but later they became Chief Ministers. Shivakumar announced that all boards and corporations would be reconstituted. First, party workers will be given these responsibilities, after that talks will be held with dissatisfied MLAs. Meanwhile, efforts to quell dissent within the Karnataka Congress have also

intensified. Minister N. Cheluvarayaswamy and HC Balakrishna were given the responsibility of convincing MLA Krishnappa, but they could not even meet him. On the other hand, Congress officials from Vijayanagar assembly constituency submitted their resignations in protest against Krishnappa not getting a place in the cabinet. Meanwhile, the issue of women's representation has also started gaining momentum. Congress MLA Nayana Motamma said that despite the party having 5 women MLAs, no one was made a minister. Meanwhile, Sandur MLA Annapurna Tukaram along with her father met the Chief Minister and staked claim for the post of minister. Congress MLA SR Srinivas, upset over not being made a minister, announced his resignation from the post of Chairman of Karnataka State Road Transport Corporation.

Vascular Surgery: Protecting the Lifeline of the Human Body

Dr. Arvind singh Rana
MBBS, DNB (General Surgery)
General & Laparoscopic Surgeon Coloproctologist
FACRSI, FAMS FIAGES

Blood vessels serve as the body's essential lifeline, continuously supplying oxygen and vital nutrients to all organs. When these arteries or veins become diseased, timely diagnosis and appropriate treatment are critical to preserving health, maintaining quality of life, and, in certain cases, saving lives.

Vascular surgery is a specialized field of modern surgery dedicated to the diagnosis and management of disorders affecting the body's blood vessels, including arteries and veins. Its primary objective is to restore and maintain healthy blood circulation, prevent serious complications, and support patients in returning to an active and improved quality of life.

With the rising prevalence of diabetes, hypertension, smoking-related illnesses, and age-associated vascular conditions, disorders of the blood vessels are becoming increasingly common. Conditions such as peripheral artery disease (PAD), blood clots, varicose veins, abdominal aortic aneurysm (AAA), and other vascular disorders require prompt medical evaluation and management. Advancements in vascular surgery have significantly expanded treatment options beyond traditional open procedures. Endovascular techniques, including angioplasty, stenting, and other minimally invasive interventions, now allow many vascular conditions to be treated through smaller incisions, resulting in reduced discomfort, lower procedural risk, and faster recovery times.

Despite these advancements, early detection remains the cornerstone of successful treatment. Symptoms such as persistent leg pain during walking, swelling, changes in skin color, numbness, or non-healing wounds should not be overlooked, as they may indicate underlying vascular disease.

Vascular surgery is not limited to treating blood vessels alone; it plays a vital role in preserving overall bodily function and health. Maintaining a healthy lifestyle, undergoing regular medical evaluations, and seeking timely consultation with specialists are essential in preventing serious vascular complications.

If you experience symptoms suggestive of impaired circulation or vascular disease, it is important not to delay medical consultation. Early diagnosis and modern treatment approaches can significantly improve outcomes and enhance quality of life.

PUPILS TIMES
Core Committee
Shivprakash Pandey — Chief Publisher
Vikas Maurya — Co Publisher
Address : Shop No.3, Khatri NX Aprt., Valivali, Badlapur (West) - 421503.
Web : pupilstimes.com

LIC
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA
"With you in life, and after life"

POPULAR LIC PLANS:
- Jeevan Labh — Limited Premium, High Returns
- New Children's Money Back — Secure Your Child's Future
- Jeevan Umang — Whole Life Cover + Pension Benefits
- Bima Jyoti — Guaranteed Additions, Safe Growth
- Also Available – Complete Financial Planning Guidance

KEY BENEFITS:
- Life Insurance + Savings Plan
- Child Education and Marriage Planning
- Retirement Planning
- Tax Benefits Available

भारतीय जीवन बीमा निगम
"जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी"
FREE POLICY CONSULTATION

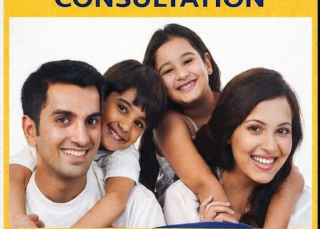

LIC Agent
Archana Shukla
+91 91129 39085
+91 74998 67628
Shop No. 2, Near Vithal Mandir, New Vadavali Chowk, Badlapur (West) – 421503
LIC Agent ID: 04497939

ANURAG SHUKLA CHIEF EDITOR . Mob.: +91 9167378057, E-mail: anurag@pupilstimes.com. www.pupilstimes.com

Printes, Published & Owned by : **ANIL MISRA,** Printed at **SOMANI PRINTING PRESS,** UNIT NO. 04, GROUND FLOOR, N. K. INDUSTRIAL ESTATE, OFF. AAREY ROAD, GOREGAON (E.), MUMBAI, MAHARASHTRA - 400064. **Published at :** 94, 1/3 JAI JAWAN VASAHAT, SHIVSHRUSHTI ROAD, KURLA (EAST), MUMBAI - 400024 (MAHARASHTRA). (The editor does not necessarily agree with the news, artical and advertisements published in this issue. Any disputes are subject to the jurisdiction of the Mumbai court) Editor - **ANIL MISRA** , Mob. : 92208 68564, **Email :** anilmisrapc@gmail.com. **PRGI. No. : MHMUL/25/A2419**